न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 484/2013
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती सन्तरो धर्मपत्नी श्री शिवभगवान, जाट, दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ.

...वादिया

बनाम

1. ओमप्रकाश आत्मज श्री बृजलाल, जाट, कनिष्ठ अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, हनुमानगढ संगम,
2. पृथ्वीराज आत्मज श्री बृजलाल, जाट, महियांवाली,
3. श्रीमती मनीदेवी धर्मपत्नी श्री देवीलाल, जाट, नेतेवाला ढाणी,
4. श्रीमती गोगी धर्मपत्नी श्री लक्षमी बगड़िया, जाट, खींपावाली तहसील व जिला फाजिल्का(पंजाब)
5. श्रीमती गुलाबी धर्मपत्नी श्री कमलेश भाम्भू, जाट, रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ,
6. संदीप एवं
7. रायसिंह आत्मजन श्री मदनलाल, जाट, दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ,
8. श्रीमती गंगादेवी धर्मपत्नी जगमाल, जाट, धालेवाला,
9. भागीरथ,
10. संदीप,
11. रामकरण एवं
12. राजकुमार आत्मजन श्री जगमाल, जाट, धालेवाला,
13. श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री कृष्ण सहारण, जाट, चूनावढ,
14. श्रीमती शकुन्तला धर्मपत्नी श्री जयनारायण, जाट, किशनावाली ढाणी जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर,
15. श्रीमती सरोज धर्मपत्नी श्री राधेराम, जाट, किशनावाली ढाणी जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर,
16. श्रीमती जसोदेवी धर्मपत्नी श्री मोहनलाल, जाट, धोलिया डेर तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर,
17. श्रीमती चूनादेवी धर्मपत्नी श्री नत्थू, जाट, तलवाड़ा खुर्द तहसील एलनाबाद जिला सिरसर(हरियाणा),
18. मोड़ूराम आत्मज श्री नत्थूराम, जाट, तलवाड़ा खुर्द तहसील एलनाबाद जिला सिरसा(हरियाणा),
19. श्रीमती कविता धर्मपत्नी श्री सुभाष, जाट, कर्मशाना तहसीली व जिला सिरसा(हरियाणा),
20. श्रीमती सलोचना धर्मपत्नी श्री आशाराम, जाट, कर्मशाना तहसीली व जिला सिरसा(हरियाणा),
21. श्रीमती पूनम धर्मपत्नी श्री मनीराम, बिजारणिया, वार्ड नम्बर 13, चौधरी पब्लिक स्कूल के पास, रावतसर जिला हनुमानगढ एवं
22. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर (वादी)

श्री मनोहरलाल सहारण (प्रतिवादी–8से16)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रतिवादी–17स18)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–22)

दिनांक 27 अगस्त, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 से 25 कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादिया के पिता श्री दुलाराम आत्मज श्री मामराज को शरणार्थी होने के कारण आवंटित की गयी. जिनकी मृत्योपरान्त प्रतिवादीगण श्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम द्वारा तथ्यों को छिपाते हुऐ मिसल बदोबस्त में अपना नाम दर्ज करवा लिया. मिसल बन्दोबस्त अधिकारी को कोई क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं था. बन्दोबस्त अधिकारी केवल पूर्व इन्द्राज को यथावत आगे ले जा सकता है. इस प्रकार मिसल बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश प्रारम्भताः शून्य है जिससे श्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. वादिया व पातो, कौशल्या व बाधो मृतक श्री दुलाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं, इसलिये मृतक श्री दुलाराम की कृषि भमि में हक व हिस्सा रखती हैं. तदोपुनसार वादिया एवं उसकी सगी बहनें प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने की अधिकारिणी हैं. प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्व राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम पर विरासतन नामान्तरकरण अकेले अपने नाम से दर्ज करवा लिया है, जो वादिया के विधिक अधिकारों पर निष्प्रभावी है. वादिया द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2013 को जब राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया तो पूर्व स्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई. जिस पर वादिया अपने मृतक भाई के वपारिसान चूनादेवी व अन्य को राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती हेतु कहा तो वे कतई इन्कार हो गये, यही वादकरण है. इस प्रकार वादिया द्वारा चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 से 25 कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि में वादिया का 1/6 हिस्सा घोषित किया जाकर तदोनुसार अच्छी से अच्छी एव बुरी से बुरी कृषि भमि की दर से विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 5 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035, चक 5 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2012, चक 5 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2012 सन् 1955–56, चक 5 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 2, 6, 8, 9, 11, 12 एवं 21 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 6, 8, 9, 11, 12 एवं 21 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 8 से 16 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 10 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 3, 4, 16, 19 एवं 20 बाद तामील सम्मन रूक रूक कर चिल्लाकर आवाजें लगवाये जाने के परिणामताः आदेश दिनांक 24 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 16, 19 एवं 20 के विरूद्व एकपक्षीय

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 17 एवं 18 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन की पावती प्रस्तुत होने पर उसे रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा प्रतिवादीसंख्या 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 8 से 16 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2013 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 8 से 16 के पिता एवं चाचा ने किसी भी प्रकार से किसी तथ्य को छिपाकर मिसल बन्दोबस्त में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया, बल्कि उस समय प्रचलित कानून के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार नहीं होने के कारण पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया. वादिया द्वारा मिसल बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा जारी आदेश प्रारम्भतः शून्य होने के कथन मात्र वादकारण उत्पन्न करने के उद्देश्य से अंकित किये गये हैं. वादिया एवं उसकी बहनें मृतक श्री दुलाराम की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं रखती हैं तथा उनका हक व हिस्सा नहीं होने के कारण वह हिस्से की घोषणा एवं खाता विभाजन करवाने की अधिकारिणी नहीं है. प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से विधि विरूद्व तरीका से अपने नाम पर विरासतन नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया गया बल्कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार ही श्री दुलाराम के वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है. इस कारण वादिया का कथन कि अकेले भाईयों के नाम पर रकबा दर्ज होने से उनके विधिक अधिकार प्रभावित होते हैं, स्वतः ही असत्य कथन अंकित किये गये हैं. श्री दुलाराम की रस्म पगड़ी के वक्त ही वादिया को इस तथ्य का ज्ञान था कि उसका श्री दुलाराम के नाम पर दर्ज कृषि भमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है तो फिर दिनांक 18 मार्च, 2013 को उसने किस कारण अभिलेखों का अवलोकन किया गया, उसे अभिलेखों की जानकारी कब हुई? वादिया दिनांक 18 मार्च, 2013 अथवा अन्य किसी तिथि को प्रतिवादीगण सं मिली ही नहीं तो अभिलेख में दुरूस्ती का कथन अपने आप में असत्य सिद्व होता है, वादिया द्वारा अपने दावा में यह कथन नही किया गया कि किस स्थान पर प्रतिवादीगण ने दुरूस्ती से इन्कार किया जिससे स्पष्ट होता है कि वादिया को प्रतिवादी संख्या 8 से 16 के विरूद्व किसी भी प्रकार के वादकरण की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसी स्थिति में, विचाराधीन वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. चूंकि वादिया द्वारा वादपत्र में विभाजन का अनुतोष चाहा गया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 22 आवश्यक पक्षकार है. अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया गया कि श्री दुलाराम की मृत्यु सम्बतज् 2012 मघर मास में हुआ तत्समय प्रचलित कानून जो बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के लागू रहे हैं, के अनुसार पिता की सम्पत्ति में सिर्फ नर सन्तानों को विरासतन हक प्राप्त था, इस कारण सन् 1956 से पूर्व के प्रकरणों में पुत्रियों का कोई अधिकार नही होने के कारण श्री दुलाराम की कृषि भूमि में वादिया का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता और न ही वह कोई कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी रही है. श्री दुलाराम की मृत्यु मघर मास, 2012 को हुई थी इतने वर्षो तक चुप रहने के बाद अब वादिया द्वारा अपने हक व हिस्सा की घोषणा चाही गयी है. वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में परिसीमा के बिन्दू का वर्णन नही कया गया है ऐसी स्थिति में वादपत्र अवधि बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है. वादिया द्वारा पूर्व में विरासतन नामान्तरकरण आदेश को चुनौती नहीं दी गयी व न ही उसके विरूद्व कोई अपील ही प्रस्तुत की गयी है. इस प्रकार नामान्तरकरण आदेश अन्तिम हो चुका है और विरासतन नामान्तरकरण के

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रभावी रहने से उसे निरस्त करवाये बिना वादिया प्रश्नगत कृषि भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 17 से 20 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 1 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि बतौर नॉन क्लेमेन्ट अर्थात तत्समय पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधारर पर आवंटित किया गया था जिसमें परिवार के समस्त सदस्यों का हक व हिस्सा है. श्री दुलाराम की मृत्योपरान्त भारत सरकार द्वारा उसके उतराधिकार घोषित करके खातेदारी सन्द जारी होने के बाद ही उनके नाम पर कृषि भूमि सही रूप से दर्ज की गयी है. खातेदारी सन्द के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के बाद वादिया का कोई हक नहीं बनता. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 22 राज्य सरकार की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 12 अप्रेल, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 से 25(25.00) बीघा, वादिया के पिता श्री दुल्लाराम को भारत–पाक विभाजन पर आवंटित किया गया, जिसमें श्री दुल्लाराम की मृत्योपरान्त श्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिसल बन्दोबस्त में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया हैं? इस प्रकार बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा जारी आदेश प्रारम्भताः शून्य है? **...वादिया**
2. क्या वादिया प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने 1/6 हिससा घोषित करवाकर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी कृषि भूमि के अनुसार विभाजन करवाने की अधिकारिणी है? **...वादिया**
3. क्या श्री दुल्लाराम की मृत्यु के समय बीकानेर काश्तकारी अधनियम लागू था जिसके अनुसार पिता की सम्पत्ति में मात्र नर सन्तानों को ही अधिकार उपलब्ध रहे हैं, वादिया का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है? **...प्रतिवादी–8से16**
4. अनुतोष?

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(कॉस्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादिया हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य वादिया प्रस्तुत नही करने के कारण आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2016 द्वारा अन्तिम अवसर एवं दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त साक्ष्य वादिया द्वारा श्रीमती सन्तरो द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. तथा साक्ष्य वादिया पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री राजेश एवं श्री भागीरथ द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनसे जिरह की गयी. प्रतिवादी संख्या 17 एवं

18 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी हेतु भी यथोचित अवसर दिये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के कारण आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2017 को अन्तिम अवसर तथा दिनांक 3 मार्च, 2017 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त श्रीमती सलोचना एवं श्रीमती कविता द्वारा उपस्थित प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तु किये गये. जिनसे जिरह की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी. अभिलेख, पण्डित अजयकुमार आत्मज श्री मदनगोपाल व्यास, मोहल्ला लक्कड़हारान, ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार(उत्तराखण्ड) द्वारा जारी तहरीर सम्बत् 2012 (प्रदर्श– डी.1), पण्डित अजयकुमार आत्मज श्री मदनगोपाल व्यास, मोहल्ला लक्कड़हारान, ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार(उत्तराखण्ड) द्वारा निष्पादित प्रमाणित शपथपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2013(प्रदर्श– डी.2) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

2018(1) RRT 292 Mandir Thakur Ji Sita Ram ji vs. Kalyan Shaya Meena & ors,
2001(1) RRT 588 Sarjan Singh vs Reshma & ors,
Act Rayyatdari, State Shri Bikaner.

का ससम्मान अवलोकन किया गया.

विवाद्यक सख्या 1 – क्या चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 से 25(25.00) बीघा, वादिया के पिता श्री दुल्लाराम को भारत–पाक विभाजन पर आवंटित किया गया, जिसमें श्री दुल्लाराम की मृत्योपरान्त श्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिसल बन्दोबस्त में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया हैं? इस प्रकार बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा जारी आदेश प्रारम्भताः शून्य है? ...**वादिया**

वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2012 सन् 1955–56 के अनुसार श्री दुलाराम को मुरब्बा नम्बर 13 की 25.00 बीघा कृषि भूमि आवंटित होने का स्पष्ट अंकन हैं. तथा प्रस्तुत चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख अन्य जमाबन्दी सम्बत् 2012 सन् 1955–56 के अनुसार ही खाता संख्या 11 मुरब्बा नम्बर 13 की 25.00 बीघा कृषि भूमि श्री दुलाराम देह आवंटी का अंकन उपलब्ध है. इसके साथ ही, चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035 के अनुसार खाता संख्या 35/12 मुरब्बा नम्बर 13 की 25.00 बीघा कृषि भूमि सर्वश्री जगमाल एवं नत्थूराम, जाट, गैर खातेदार बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज की गयी है. चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 505 दिनांक 8 अक्तूबर 2012 द्वारा खाता सख्या 100/82 मुरब्बा नम्बर 13 की 25.00 बीघा कृषि भूमि सर्वश्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम पिसरान श्री दुल्लाराम बहिस्सा बराबर बराबर एवं विरासतन नामान्तरकरण संख्या 517 दिनांक 5 फरवरी, 2013 द्वारा चूनादेवी पत्नी नत्थूराम, मोडूराम, कवितारानी, सलोचनादेवी, पूनमदेवी

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पुत्रिया नत्थूराम बहिस्सा बराबर बरार एवं श्री जगमाल पुत्र श्री दुलाराम 3. 162 हैक्टर कौम जाट खातेदार दर्ज किया गया है किन्तु किसी भी अभिलेख को प्रदर्श नहीं करवाया गया है. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य बिन्दू श्री दुलाराम की मृत्यु कब हुई, की बाबत वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के किसी भी बिन्दू में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया. साथ ही वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में स्पष्ट कथन किया गया है कि दुलाराम कब मरा मुझे पता नहीं. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण द्वारा पण्डित अजयकुमार आत्मज श्री मदनगोपाल व्यास, मोहल्ला लक्कड़हारान, ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार(उत्तराखण्ड) द्वारा जारी तहरीर सम्बत् 2012 (प्रदर्श– डी.1), पण्डित अजयकुमार आत्मज श्री मदनगोपाल व्यास, मोहल्ला लक्कड़हारान, ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार(उत्तराखण्ड) द्वारा निष्पादित प्रमाणित शपथपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2013(प्रदर्श– डी.2) प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करवाये गये हैं जिनके अनुसार श्री दुलाराम की मृत्यु मघर मास सम्बत् 2012 में होने का उल्लेख किया गया है. जिसके विरोध में भी वादिया द्वारा किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है. वादिया द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में कथन किया गया है कि उसकी आयु 70, 75 वर्ष है, जब मैं 5–6 साल की थी तब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था. जिसकी गणना के अनुसार वादिया की आयु 75 वर्ष भी मानी जाये तो उसका जन्म (2016–70=1941) सन् 1941 में हुआ होगा, साथ ही उसकी 5–6 साल की आयु में अर्थात 1946 + 6 = 1952 में श्री दुलाराम की मृत्यु होना अवधारित है. क्योंकि किसी भी पक्षकार द्वारा श्री दुलाराम की मृत्यु की निश्चित एवं प्रमाणित तिथि की न तो पुष्टि की गयी है व न ही किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनिय, 1956 में अस्तित्व में आया है. इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि श्री दुलाराम की मृत्यु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हुई है. तथा तत्समय, एक्ट रैयतदारी, राज्य श्री बीकानेर प्रभावी था. ऐसी स्थिति में, श्री दुलाराम की मृत्यु के समय प्रभावी एक्ट रैयतदारी, राज्य श्री बीकानेर के नियम 22(1) किसी जमीन में मौरूसी हक रखने वाला कोई रैयत मर जाये तो उसका हफारस इस तरह पहुचेगा (क) उससे नीचे की तरह उतरने वाली आदमियों की पक्ति में उसकी सन्तान में से पुरूषों को(अगर कोई हो), जिसे न्यायिक दृष्टांत 2001(1) RRT 588 Sarjan Singh vs Reshma & ors. द्वारा पुष्ट किया गया है, की पालना में ही चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035 के अनुसार खाता संख्या 35/12 मुरब्बा नम्बर 13 की 25.00 बीघा कृषि भूमि सर्वश्री जगमाल एवं नत्थूराम, जाट, गैर खातेदार बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज की गयी है. ऐसी स्थिति में, सर्वश्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम के नाम पर दर्ज नामान्तरकरण किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से विधि विरूद्व नहीं है. यहां यह तथ्य अंकित किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि वादिया द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में यह भी कथन किया गया है कि **भाईयों के नाम जमीन 30 वर्ष पूर्व चढी थी.** इससे स्पष्ट है कि वादिया को अपने भाईयों के नाम दर्ज किये गये प्रथम नामान्तरकरण की 30 वर्ष पूर्व से ही जानकारी है किन्तु वादिया द्वारा सर्वश्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम के नाम पर दर्ज **प्रथम नामान्तरकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है** जिसके परिणामतः सर्वश्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम के नाम पर दर्ज प्रथम नामान्तरकरण अन्तिम हो चुका है एवं विचाराधीन वादपत्र जानकारी की तिथि से अर्थात गत 30 वर्ष

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(पोस्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

एतद्द्वारा 1983 से सन् 2013 को वादपत्र की प्रस्तुति स्पष्टतः **अवधि बाधित** है. जहां वादिया द्वारा अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है तथा विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार समस्त पक्षकारान को प्रतिपक्षकार बनाया जाना आवश्यक है किन्तु वादिया द्वारा अपनी **बहिन श्रीमती बाधो को प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया** है. यहां यह तथ्य अंकित किया जाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत गैर खातेदारी कृषि भूमि सन् 2012 में खातेदारी घोषित की गयी है किन्तु वादिया द्वारा **जारी सनद को भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी.** इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादिया के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक सख्या 2 –क्या वादिया प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने 1/6 हिस्सा घोषित करवाकर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी कृषि भूमि के अनुसार विभाजन करवाने की अधिकारिणी है? **...वादिया**

श्री दुलाराम की मृत्यु के समय प्रभावी एक्ट रैयतदारी, राज्य श्री बीकानेर के नियम 22(1) किसी जमीन में मौरूसी हक रखने वाला कोई रैयत मर जाये तो उसका हफारस इस तरह पहुचेगा (क) उससे नीचे की तरह उतरने वाली आदमियों की पक्ति में उसकी सन्तान में से पुरूषों को(अगर कोई हो) की पालना में ही चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2026–2035 के अनुसार खाता संख्या 35/12 मुरब्बा नम्बर 13 की 25.00 बीघा कृषि भूमि सर्वश्री जगमाल एवं नत्थूराम, जाट, गैर खातेदार बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज की गयी है चूंकि श्री दुलाराम के नर वंशजो के नाम पर ही कृषि भूमि दर्ज की गयी है तथा तत्समय पुत्रियों का हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार ही उपलब्ध नहीं था. ऐसी स्पष्ट स्थिति में, वादिया किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से प्रश्नगत कृषि भूमि में से 1/6 अथवा किसी भी मात्रा में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होने के कारण घोषणा एवं विभाजन करवाने की अधिकारिणी नहीं होने के परिणामतः विवाद्यक संख्या 2 वादिया के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक सख्या 3 –क्या श्री दुल्लाराम की मृत्यु के समय बीकानेर काश्तकारी अधनियम लागू था जिसके अनुसार पिता की सम्पत्ति में मात्र नर सन्तानों को ही अधिकार उपलब्ध रहे हैं, वादिया का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है? **...प्रतिवादी–8से16**

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(प्रोजेक्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

श्री दुलाराम की मृत्यु के समय प्रभावी एक्ट रैयतदारी, राज्य श्री बीकानेर के नियम 22(1) किसी जमीन में मौरूसी हक रखने वाला कोई रैयत मर जाये तो उसका हफारस इस तरह पहुचेगा (क) उससे नीचे की तरह उतरने वाली आदमियों की पक्ति में उसकी सन्तान में से पुरूषों को(अगर कोई हो) की पालना में ही चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2026– 2035 के अनुसार खाता संख्या 35/12 मुरब्बा नम्बर 13 की 25.00 बीघा कृषि भूमि सर्वश्री जगमाल एवं नत्थूराम, जाट, गैर खातेदार बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज की गयी है चूंकि श्री दुलाराम के नर वंशजो के नाम पर ही कृषि भूमि दर्ज की गयी है तथा तत्समय पुत्रियों का हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार ही उपलब्ध नहीं था. इस प्रकार तत्समय प्रभावी नियमानुसार वादिया का

प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 8 से 16 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यको के विनिश्चिय के अनुसार श्री दुलाराम की मृत्यु के समय एक्ट रैयतदारी, राज्य श्री बीकानेर प्रभावी था. तथा एक्ट रैयतदारी, राज्य श्री बीकानेर के नियम 22(1) किसी जमीन में मौरूसी हक रखने वाला कोई रैयत मर जाये तो उसका हफारस इस तरह पहुचेगा (क) उससे नीचे की तरह उतरने वाली आदमियों की पक्ति में उसकी सन्तान में से पुरूषों को(अगर कोई हो), जिसे न्यायिक दृष्टांत 2001(1) RRT 588 Sarjan Singh vs Reshma & ors. द्वारा पुष्ट किया गया है. जिसके परिदृश्य, वादिया किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से श्री दुलाराम को आवंटित 5 एच. एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 से 25 कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होने, प्रस्तुत वादपत्र जानकारी प्राप्त होने की तिथि प्रस्तुतिकरण की तिथि के अनुसार अवधि बाधित, समस्त वारिसान को प्रतिपक्षकार बनाये जाने के अभाव में वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वादव्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले न्यायालय में अधिवक्तागण की उपस्थिति में आज दिनांक 27 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.